HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला करने के 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये (कुल 80,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करने के 04 आरोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 29.02.2014 को अभियुक्तगण 1.कृष्णपाल पुत्र रामू 2. सागर पुत्र कृष्णपाल 3. अंकुश पुत्र भोपाल 4. संजीव पुत्र मांगे राम निवासीगण ग्राम पूठ हुसैनपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र गौतम व रवि को जान से मारने की नीयत से चाकुओं से वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 358/2014 धारा 307, 34, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.09.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 29.03.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 07-07 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये (कुल 80,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 सुरेन्द्र मलिक एवं पैरोकार है0का0 देवेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 महीपाल का विशेष योगदान रहा।